

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए

8  
24

प्राथमिकी पेशावरी व कील वादी उपस्थितता प्रकरण में प्रती  
 गण की ओर से तपेशा जैन एस० दास वकालत नामा पेशा  
 किया जो ११०५१० है। प्रकरण में वादी वकील दास ११०५४  
 १२९१ १०८८८ का पेशा किया। जिस पर प्रतिवादी वकील दास  
 उक्त ११०५४ पर No objection किया। अतः वादी दास  
 दास प्रस्तुत ११०५४ स्वीकार किया जाता है तथा संशोधित  
 टाइटल स्वीकार किया जाकर ११०५१० है। प्रकरण में उभयपक्ष  
 दास राधी नामा का ११०५४ पेशा कर लेवेना किया है कि उक्त  
 उनवानी वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य स्वेच्छा से  
 राधी नामा हो गया है। सांगिक ख. नं. ६७८ रकबा १८ खेस्वादा  
 ख. नं. ११८ रकबा ०.२३ ई. भूमि वीके सामे गौडा तहसील  
 व जिला संग्राम वादी ने हम प्रतिवादीगण के पिता भजनदा  
 गिराज से देनाक १६/०३/७२ को पारिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र  
 खरीद की थी। तभी से वादी का उक्त विक्रित भूमि पर कब्जा  
 चला आ रहा है सो उक्त विक्रित भूमि ख. नं. ६११ ११८  
 रकबा ०.२३ ई. में से भूमि ०.११२० ई. खरवाल वार्डपास  
 में अवात दर्जा है। जिसका मुआवजा प्रतिवादीगण के नाम से  
 बना है उक्त मुआवजा प्रतिवादीगण को दे दिया जावे एवं  
 शेष भूमि ०.११८० ई. का नामान्तरण वादी के नाम दर्ज  
 करा दिया जावे इसमें हमारी है नौ. पक्षों की सहमति है। शेष  
 भूमि का नामान्तरण वादी के पक्ष में खोले जाने व जमावेंद  
 में अमल दसमद किये जाने पर हम अशर्मागण को कोई  
 आपत्ती नहीं। प्रस्तुत राधेनामा का अवलोकन किया। सभी  
 पक्षकारों के हस्ताक्षर ब्याथोलप में करवाये जाकर राधेनामा  
 स्वीकार किया जाकर तस्दीक किया जाता है। मूल राधीनामा  
 निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिफा वारी की जावे।  
 प्राथमिकी फासल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर  
 दफतर दारिब ली है।

ज लाल  
 जलम...  
 परतसाव मीना ①  
 गणपत लाल ②  
 भरतरी मीना ③  
 कविता ④  
 कामी ⑤  
 गणपति ⑥  
 शापत्री  
 वर्मा

निं=शपत्री  
 सम्मत  
 (ल)  
 (लैरा जेक एस.)

उप जिला कलेक्टर  
 सवाई माधोपुर